संख्या-31/2018/894/30-3-18-16बी/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2018**

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-अमेठी के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी-127एए/2018-35ए/2013, दिनॉक 14-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-अमेठी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-28/288/30-3-14-16बी/2013, दिनॉक 04-03-2014 द्वारा धनराशि रू0 408.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 204.17 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-82/2015/2082/30-3-2015-16बी/2013, दिनॉक 30-09-2015 द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-48/2016/1874/30-3-2016-16बी/2013, दिनॉक 29-07-2016 द्वारा अवशेष/तृतीय किश्त की धनराशि रू0 104.17 लाख (रू0 एक करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग कर लिये जाने के पश्चात कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा पुनरीक्षित आगणन रू0 588.99 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 548.16 लाख (जीएसटी की दर सहित) की धनराशि आंकलित की गयी। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 548.16 (रू0 पांच करोड़ अड़तालीस लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 548.16 लाख तथा मूल स्वीकृत लागत रू0 408.34 लाख के अन्तर की धनराशि रू0 139.82 लाख (रू0 एक करोड़ उनतालीस लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) **आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।**

(2) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

(3) **कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाये।**

(4) **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के संगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।**

(5) **प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(7) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(8) परियोजना का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(9) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013 टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ़
विशेष सचिव।

संख्या-31/2018/894(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।